POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनांक 16.07.2024

1.थाना सैक्टर-126 पुलिस द्वारा कार को छिपाकर व कार के जी.पी.एस. सिस्टम को निकाल फेंकने के बाद कार चोरी की झूठी सूचना देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण-- दिनांक **15.07.2024** को वादी मुदकमा द्वारा थाना सेक्टर-126 पर सूचना दी गयी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की कार मारूति स्विफट नं0-एचआर 55 एके 7758 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दी थी। वादी की इस सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 171/2024 धारा 303(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- थाना सेक्टर-126 पुलिस द्वारा उक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसमें गठित टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से डाटा एकत्र किया गया एवं बीट पुलिसिंग के माध्यम से लोकल इंटेलिजेंस से जानकारी लेते हुए तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस टीम व मैनुअल इंटेलीजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर 24 घंटे के भीतर ही घटना का सफल अनावरण करते हुये आज दिनांक 16.07.2024 को जितेन्द्र उपरोक्त को थाना स्थानीय क्षेत्र अंतर्गत यमुना डूब क्षेत्र सेक्टर-128 नोएडा से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह कार को कहीं और ले जाने की फिराक में था। अभियुक्त जितेन्द्र की निशानदेही पर मारूति स्विफट नं0--एचआर 55 एके 7758 व कार में लगे जी.पी.एस को भी झाडियों से बरामद किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग में 318(4)/316(4)/217/317(2) की वृद्धि की गयी है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ कर अभियुक्त ने बताया कि उसने लालच में आकर थाना पर कार चोरी का झूठा मुकदमा लिखाया था। उसकी टैक्सी को किसी चोर ने चोरी नहीं किया था बल्कि उसके द्वारा ही टैक्सी के दोनों जी.पी.एस. निकालकर रोड पर जा रही लोडर गाडी में फेंक दिये थे जबकि गाडी को उसने यमुना डूब क्षेत्र में छिपाकर खडा कर दिया था और कार मालिक को भी झूठी सूचना दी थी और तहरीर देकर थाना पर झूठा अभियोग पंजीकृत कराया था। चोरी के पश्चात अभियुक्त गाडी को स्वयं चलाकर मुनाफा कमाना चाहता था। इससे पहले अभियुक्त गाडी को कहीं और ले जाता पुलिस द्वारा उसे पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. जितेन्द्र पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम कराला थाना कंझावला दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष

पंजीकृत अभियोग --

1. मु0अ0सं0-171/2024 धारा 303(2) भा.द.वि. का लोप व धारा 318(4)/316(4)/217/317(2) बी.एन.एस

बरामदगी का विवरण--

1. 01 कार मारूति स्विफ्ट सं0-एचआर 55 एके 7758संबंधित मु0अ0सं0-171/2024 धारा 303(2) भा.द.वि. का लोप व धारा 318(4)/316(4)/217/317(2) बी.एन.एस
2. 01 जी.पी.एस. सिस्टम

2. थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा मैरिज होम से आभूषण व पैसे चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के आभूषण व 12,110 रुपये नगद बरामद।

घटना व कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 16.07.2024 को वादी निवासी जीडी कॉलोनी, मयूर विहार, फेस-3 की तहरीर पर अज्ञात चोर के विरुद्ध थाना सेक्टर-113 क्षेत्र के अंतर्गत मैरिज होम से उनके बेटे की शादी में अज्ञात चोर द्वारा वादी की बहन के बैग को मय आभूषण व पैसे के चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना सेक्टर-113 पर मु0अ0सं0- 294/2024 धारा 303(2) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन कर आस-पास के सभी सीसीटीवी कैमरे चैक किए जाने के क्रम में दिनांक **16.07.2024** को थाना क्षेत्र के मुखिया मार्केट से पहले कच्चे रास्ते पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अजय कुमार पुत्र नीरज गुप्ता को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये 01 जोडी झुमके, 01 जोडी कान के टॉप्स, 01 जोडी कान के झुमके, 02 गले के मंगलसूत्र व 12,110 रुपये बरामद हुए है।

अभियुक्त का विवरण--

1. अजय कुमार पुत्र नीरज गुप्ता निवासी त्रिलोकपुरी, मयूर विहार, पूर्वी दिल्ली उम्र-31 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 294/2024 धारा 303(2),317(2), बी.एन.एस थाना सेक्टर-113, नोएडा।
2. मु0अ0सं0 872/2019 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा।
3. मु0अ0सं0 893/2019 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा।
4. मु0अ0सं0 974/2019 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा।
5. मु0अ0सं0 1001/2019 धारा 25 आ0एक्ट थाना सेक्टर-20, नोएडा।
6. मु0अ0सं0 1003/2019 धारा 414/420/482 भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा।
7. मु0अ0सं0 704/2019 धारा 392/411 थाना सेक्टर-20, नोएडा।
8. मु0अ0सं0 804/2019 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा।
9. मु0अ0सं0 812/2019 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा।
10. मु0अ0सं0 861/2019 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1. अभियुक्त के कब्जे से 01 जोडी झुमके, 01 जोडी कान के टॉप्स, 01 जोडी कान के झुमके, 02 गले के मंगलसूत्र व 12,110 रुपये बरामद।